



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, निदेशक, छत्तीसगढ़-वरोरा पारेषण लिमिटेड, अहमदाबाद का रायपुर-राजनांदगांव-वरोरा पारेषण लाईन का राजनांदगांव वन मंडल में बाघनदी परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 633, 657 रकबा 3.899 हे. वन क्षेत्र एवं खसरे जो निजी भूमि मद में दर्ज है जिसकी कैफियत जंगल जस सरकार के रूप में दर्ज है का रकबा 6.156 हे. में 765 के. व्ही विद्युत पारेषण लाईन की स्थापना हेतु कुल रकबा 10.0555 हे. के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 22/02/2017

स्थान: रायपुर

(आर. के. टम्टा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

छत्तीसगढ़, रायपुर